

6.2.20

पत्रावली पेश हुई / कडील रेसपो-द्वारा पेश
तहत अदालत के वाद से. 240/07 में पारित
निर्णय दि. 31.3.2011 की प्रमाणित प्रति का
अवलोकन किया तो पता कि प्रकरण से संबंधित
मूल वाद निस्तारित किया जा चुकी है।

चूंकि मूल वाद का निस्तारण किया जा
चुका है / ऐसी स्थिति में चारा 225 R.T.A
के तहत प्रस्तुत यह अपील इन्फेन्चस हो
चुकी है।

अतः अपील अपील नं० 2 इन्फेन्चस (प्रभावहीन)
होने के कारण खारिज की जाती है / पत्रावली कमल
(समाप्त हो) / दि 06/02/20